



The heart of
Incredible India

MADHYA PRADESH FILM TOURISM POLICY 2020



The heart of
Incredible India

Madhya Pradesh Tourism Board

6th Floor, Lily Trade Wing, Jahangirabad, Bhopal - 462008 | Ph.: +91 755 2780600

E-mail : rammptb@mp.gov.in | www.mptourism.com

Follow us on




Scan the QR Code to visit



Designed by : Atul Publicity

MADHYA PRADESH FILM TOURISM POLICY 2020

मध्य प्रदेश
फिल्म पर्यटन
नीति 2020



"Movies — nowhere more so than in India, of course — have become not just a rich sense of community, and collective dreaming, but one of the few places where we look up, to something much larger than ourselves, hold our breaths, suspend ourselves and have the chance to step out of the darkness a little bit transformed"

- Pico Iyer

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020

अनुक्रमणिका

1.	दृष्टि	04
2.	परिभाषाएं	04
3.	उद्देश्य	04
4.	रणनीति	06
5.	सलाहकार/साधिकार समिति	06
6.	फिल्म फेसिलिटेशन सेल	06
7.	क्रियान्वयन	08
8.	सिंगल विंडो क्लियरेंस	08
9.	राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता	10
10.	फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन	10
11.	बुनियादी ढांचे का विकास	18
12.	सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	18
13.	विशिष्ट आधारभूत संरचना सहायता	18
14.	फिल्म मेकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहन	18
15.	भौतिक आधारभूत संरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन	18
16.	फिल्म सिटी	20
17.	फिल्म स्टूडियो एवं लैब	20
18.	भूमि बैंक	20
19.	फिल्म स्क्रीनिंग	22
20.	कौशल विकास और क्षमता निर्माण	24
21.	राज्य सहयोग हेतु अर्हता	24
22.	नीति को लागू करना और वैधता अवधि	26
23.	विवाद समाधान	26
24.	संशोधन नीति-2020	26
25.	परिशिष्ट "अ"	28
26.	म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश	30
27.	Madhya Pradesh Film Tourism Policy English Version	32

■ हैरीटेज
 ■ नगरीय
 ■ ग्रामीण
 ■ हस्तकला व शिल्पकला
 ■ प्राकृतिक
■ वन्य जीवन
 ■ खान-पान
 ■ कला/त्यौहार
 ■ रोमांचक

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020

मध्य प्रदेश में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, और रियलिटी शो, डाक्यूमेंट्री के निर्माण/फिल्मांकन के लिये सुविधा/प्रोत्साहन एवं फिल्म पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु

1. दृष्टि :

मध्य प्रदेश को प्रमुख फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

2. परिभाषाएं :

“नीति” का अर्थ, मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति, 2020 से है।

“राज्य” का अर्थ, मध्य प्रदेश राज्य से है।

“शासन” का अर्थ, मध्य प्रदेश शासन के विभाग और उसके स्वामित्व वाले उपक्रम से है।

“बोर्ड” का अर्थ है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड।

“प्रबंध संचालक” का अर्थ है, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड।

“केन्द्र शासन” का अर्थ, भारत सरकार एवं इसके उपक्रम से है।

“फिल्म” की परिभाषा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में दी गई है, जो निम्नानुसार है।

“फिल्म” का अर्थ एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म है।

* “फीचर फिल्म” से आशय है ‘न्यूनतम 90 मिनट की सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, जो केन्द्रीय सेंसर बोर्ड से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गई हो’ से है।

* भारतीय सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 में वेब श्रृंखला, टीवी धारावाहिक/शो, रियलिटी शो/डाक्यूमेंट्री आदि को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः नीति के तहत इन्हें लाभ प्रदान करने का निर्णय, “फिल्म फेसीलिटीशन सेल” द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति में उल्लेख है।

3. उद्देश्य : फिल्म पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- 3.1 प्रदेश में फिल्म निर्माण को फिल्म निर्माताओं के मध्य पहली पसन्द बनाना।
- 3.2 फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को सेन्ट्रल हब के रूप में विकसित करना।
- 3.3 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- 3.4 फिल्म निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना।
- 3.5 फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- 3.6 प्रचार प्रसार, विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करना।
- 3.7 प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।
- 3.8 प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रक्रिया बनाई जाना एवं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फिल्मांकन को प्रोत्साहित करना।
- 3.9 फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय करना।



4. रणनीति : प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए :

यह नीति प्रदेश में पर्यटन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक होगी। फिल्म पर्यटन नीति-2020 के तहत निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे –

- 4.1 समस्त प्रक्रियाओं, अनुमोदन, अनुमति और लाइसेंस की रूकावटों को दूर करने के लिए परिभाषित करना।
- 4.2 निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।
- 4.3 आधारभूत संरचना बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करना।
- 4.4 फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- 4.5 फिल्म निर्माताओं के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएँ विकसित करना।

5. सलाहकार/साधिकार समिति : मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 1/9-64/2019/1/5 दिनांक 22/12/2016 से साधिकार समिति का गठन किया गया है, जो कि प्रदेश में पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए नीति स्पष्टीकरण/व्याख्या/विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत है। फिल्म पर्यटन नीति 2020 मूलतः पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 का ही हिस्सा है अतः इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक विभाग को शामिल करते हुए इस समिति द्वारा फिल्म पर्यटन नीति 2020 क्रियान्वयन के लिये नियम स्पष्टीकरण, नियम संशोधन, निर्देश/अनुमोदन, निगरानी का कार्य भी किया जायेगा।

- 5.1 साधिकार समिति प्रदेश अन्तर्गत सभी नगर निकायों/ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले स्थलों एवं शासकीय आधिपत्य वाली सम्पत्तियों पर फिल्म शूटिंग के लिये दरों का निर्धारण करेगी तथा यह दरें सम्पूर्ण राज्य में लागू होंगी।

6. फिल्म सुविधा सेल (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) :

- 6.1 फिल्म पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए, एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म पर्यटन हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिये समय-समय पर प्रस्ताव तैयार करेगी।
- 6.2 फिल्म सुविधा सेल के सदस्य (फिल्म फेसीलिटेशन सेल):

प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (अध्यक्ष)
अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (उपाध्यक्ष)
संचालक, आईपी, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य)
उपसंचालक, फिल्म पर्यटन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य सचिव)
उपसंचालक, वित्त, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य)
पुरातत्व सलाहकार, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य)
फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्ति/निकाय (प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित सदस्य)
संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (आवश्यकतानुसार) (सदस्य)

6.3 फिल्म फेसीलिटेशन सेल का कार्यक्षेत्र :

- 6.3.1 सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। (वेब पोर्टल तैयार न होने तक ऑफलाइन मोड में भी





प्राप्त किए जा सकेंगे)

- 6.3.2 फिल्म फेसिलिटेशन सेल फिल्म अनुदान हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/देयको की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा।
- 6.3.3 फिल्म फेसिलिटेशन सेल राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने वाले लाइन प्रोड्यूसर को पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही करेगा।
- 6.3.4 फिल्म फेसिलिटेशन सेल, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष संस्थानों में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
- 6.3.5 फिल्म फेसिलिटेशन सेल फिल्म पर्यटन नीति-2020 के संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड एवं अन्य सभी प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।
- 6.3.6 फिल्म फेसिलिटेशन सेल फिल्म नीति संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकता होने पर तय कर सकेगा।
- 6.3.7 फिल्म फेसिलिटेशन सेल प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेगा।

7. क्रियान्वयन :

- 7.1 सम्पूर्ण नीति एवं प्रपत्र मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 7.2 यह नीति सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के फिल्म शूटिंग अनुमति लेने और अनुदान आवेदनों पर लागू होगी।
- 7.3 फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु अनुदान आवेदन करने से पूर्व एक बार (One Time) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- 7.4 अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृष्य/श्रव्य माध्यम से देश/प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/ संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म फेसिलिटेशन सेल अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।
- 7.5 फिल्म फेसिलिटेशन सेल फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों/ अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
- 7.6 फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/प्रसारित होने के पश्चात निर्माता द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु आवश्यक सहपत्रों सहित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (COP) के मान्य प्रमुख व्यय मद संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार होंगे।
- 7.7 प्रबंध संचालक द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान प्रमाणों का परीक्षण करेगी, तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिये फिल्म फेसिलिटेशन सेल के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।
- 7.8 अध्यक्ष फिल्म फेसिलिटेशन सेल के अनुमोदन के बाद आवेदक को एक अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
- 7.9 अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को ऑनलाइन किया जाएगा।
- 7.10 अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात कार्यालय में प्रस्तुति दिनांक से 45 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा के अंदर किया जायेगा।

8. सिंगल विंडो क्लीयरेंस :

मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिन्दु इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। सभी आवेदन फिल्म फेसिलिटेशन सेल द्वारा ऑनलाइन तरीके से (वेब पोर्टल तैयार न होने तक ऑफलाइन) प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु कार्रवाई की जावेगी। यह समर्पित पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के संबंध में सूचना-प्रसार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा और नियमों, विनियमों, अनुदान और अन्य सुविधा सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा।





फिल्म फेसिलिटेशन सेल सभी फिल्म निर्माताओं/आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा, जो कि फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।

9. राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता :

फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य सरकार मनोरंजन उद्योग के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। फिल्म संबंधी हितधारकों के लिए अधिकाधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से, राज्य सरकार विभिन्न प्रयास करेगी। प्रचारक गतिविधियों के तहत विभिन्न थीम पार्क, सेल्फी पॉइंट, फिल्म फेस्टिवल और फिल्म अवार्ड आदि विकसित किए जाएंगे। फिल्म फेसिलिटेशन सेल विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, गोष्ठी, सेमीनार आदि में भागीदारी पर निर्णय लेगा, जो राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/सेमीनार आयोजित किये जायेंगे तथा देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं के फेम टूरर्स आयोजित किये जायेंगे। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित की गई फिल्मों के स्थलों को पर्यटक आकर्षण हेतु पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

फिल्म फेसिलिटेशन सेल द्वारा फिल्म नगरी मुम्बई में निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करने/सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने पर विचार किया जाएगा।

10. फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन :

फिल्म सुविधा सेल, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/ वेब श्रृंखला आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हेतु निम्न पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :

10.1 फीचर फिल्मों के लिए अनुदान :

10.1.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	पहली फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	₹. 1 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	₹. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

10.1.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	दूसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	₹. 1.25 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	₹. 1.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों



10.1.3 तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	तीसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	रु. 2.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

* यदि प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग दिवस वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्य प्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, तथा प्रदेश के पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी फिल्म को प्रत्येक श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं आगामी फिल्म) में रुपये 50.00 लाख अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका निर्णय फिल्म फेसिलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा।

* मध्य प्रदेश विशेष ब्राण्डिंग (MP Specific Film) की दृष्टि से प्रदेश पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर प्रदेश में फिल्मांकन एवं फिल्म निर्माण हेतु फिल्म की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा रुपये 5.00 करोड़ जो भी कम हो, का विशेष अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुदान विषयक निर्णय के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।

10.1.4 राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत सम्पूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।

10.1.5 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

10.1.6 यदि फिल्म निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये अधिकतम 25 लाख रु. प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये अधिकतम 10.00 लाख रुपये अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जावेगी।

10.1.7 फिल्म निर्माण की कुल लागत (COP) और कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है, का निर्णय आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

10.1.8 फिल्म शूटिंग/टी.वी.धारावाहिक/टी.वी.शो/OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजनल शो, डाक्यूमेंट्री हेतु अनुमति शुल्क की प्रतिपूर्ति:-

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 50% प्रतिपूर्ति	फिल्म शूटिंग/OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों। टी.वी.धारावाहिक/ टी.वी.शो राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति	फिल्म शूटिंग/OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों। टी.वी.धारावाहिक/ टी.वी.शो राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर





10.1.9 यदि आवेदित फीचर फिल्म परियोजना द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस का मापदण्ड पूर्ण नहीं किया जाता है, किन्तु निर्मित फीचर फिल्म में कुल स्क्रीन समय का क्रमशः 20 एवं 10 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में शूटिंग किये गये दृश्यों को दिया गया हो, तथा आवेदक फीचर फिल्म परियोजना में मध्य प्रदेश की ब्राण्डिंग विशेष रूप से है, को क्रमशः अधिकतम रूपसे 75.00 लाख एवं रूपसे 50.00 लाख वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा किया जायेगा।

10.1.10 दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम) में सिनेमा एक प्रमुख एवं प्रभावी उद्योग है, तथा वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए दर्शक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम है। अतः प्रदेश के पर्यटन महत्व के स्थलों को दक्षिणी राज्यों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दक्षिणी राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं यथा – तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम फिल्मों को उपरोक्त कण्डिका 10.1 के सभी मापदण्डों को पूर्ण करने पर उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा।

* उपरोक्त अनुदान राज्य के भीतर के * * * , पुरातत्व, स्थानीय नगर निकायों, पर्यटन विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और सभी राज्य या केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान/स्मारकों पर लगने वाले सभी प्रकार के अनुमति शुल्क पर देय होगा।

* जो प्रस्ताव अनुमति शुल्क की छूट के लिये उपरोक्त दायरे में नहीं आते (यथा 50 प्रतिशत से कम शूटिंग दिवस वाले फिल्म प्रस्ताव) उनके लिये शूटिंग स्थलों पर लगने वाले शुल्क को रियायत/निशुल्क करना एफएफसी के विवेकाधीन होगा।

* फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म निर्माताओं को अनुदान प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया जारी करेगा।


10.2 टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदान :

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 50 लाख तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2	रु. 1.00 करोड़ तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर

10.2.1 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की संबंधित जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

10.2.2 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जो कि GEC (General Entertainment Channels) से विधिवत टेलीकास्ट शेड्यूल जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे।

10.2.3 यदि टीवी धारावाहिक/शो निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 25.00 लाख रु. तक प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 10.00 लाख रुपये अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि प्राप्तकर्ता कलाकारों को राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।





10.3 OTT (Over the Top) प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो के लिए अनुदान :

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 50.00 लाख तक या वेब सीरीज/ओरीजनल शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	रु. 1.00 करोड़ तक या वेब सीरीज/ओरीजनल शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

10.3.1 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

10.3.2 यदि वेब सीरीज निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 25.00 लाख रु. तक प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 10.00 लाख रुपये अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि प्राप्तकर्ता कलाकारों को राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

10.3.3 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जो कि OTT (Over the Top) प्लेटफार्म से विधिवत टेलीकास्ट शिड्यूल/रिलीज सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे।

* वेब सीरीज/ओरीजनल शो के OTT (Over The Top) प्लेटफार्म शूटिंग से संबंधित गाइड लाईन समय-समय पर एफएफसी द्वारा जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी।

* चूंकि वर्तमान में OTT (Over The Top) प्लेटफार्म के लिये कोई प्रमाणीकरण के मापदण्ड नहीं है। अतः एफएफसी समिति इसकी स्क्रिप्ट सामग्री के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

10.4 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के लिए अनुदान :

अनुभवी एवं प्रतिष्ठित डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डाक्यूमेन्ट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्त शिल्प, धार्मिक पर्वों/उत्सवों, रहन-सहन/टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/इतिहास एवं कहानियों आदि पर बनाई गई डाक्यूमेन्ट्री, जो कि मध्य प्रदेश में शूट की जायेगी, को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जावेगा:-

10.4.1 राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रुपये 20.00 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो।

10.4.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रुपये 40.00 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो।

10.5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग/टी.वी.धारावाहिक/टी.वी.शो/OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में न्यूनतम 07 दिवस शूटिंग किये जाने पर प्रदेश में किये गये व्यय की 10 प्रतिशत एवं मध्य प्रदेश की विशेष ब्रांडिंग होने पर अधिकतम 25 प्रतिशत राशि तक वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये तक होगी, जिसका निर्णय फिल्म फेसिलिटेशन सेल द्वारा लिया जावेगा।

* उपरोक्त सुविधा उन राष्ट्रीय फीचर फिल्म निर्माताओं को भी प्राप्त होगी, जिनकी फीचर फिल्म परियोजना लागत रूप में 100.00 करोड़ से अधिक होगी। ऐसी इकाईयों को यह विकल्प होगा कि वे कंण्डका 10 अन्तर्गत प्रावधानित अनुदान सुविधा अथवा उपरोक्त वर्णित सुविधा में से किसी भी एक का चयन कर सकें।





* फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U अथवा UA प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म रिलीज होने पर दिये जायेंगे। इसी प्रकार टीवी धारावाहिक/वेब श्रृंखला आदि के संबंध में टीवी चैनल/मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर देय होगी। मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होने को भी अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण बिंदु क्रमांक 10 के सभी विवरणों पर लागू होगा।

- 1.1. बुनियादी ढांचे का विकास: राज्य में फिल्म निर्माताओं एवं पर्यटकों की सुविधा एवं आसानी के लिये बुनियादी ढांचे यथा – सड़कें, परिवहन, वायुयान सम्पर्कता, रेल सम्पर्कता, पर्यटन स्थलों / शूटिंग स्थलों के कशब आवास सुविधा वृद्धि आदि के लिये राज्य सरकार यथा संभव प्रयास करेगी।
- 1.2. सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: फिल्मों के लिये आवश्यक सहयोगी सेवाएँ जैसे आवास, भोजन, आदि जो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित है, पर फिल्म के कलाकारों और सहयोगी दल को प्रकाशित/निर्धारित दरों पर, 40 प्रतिशत तक की रियायत प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के स्वामित्व की विभिन्न संस्थाओं यथा-स्पोर्ट्स अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब्स आदि के द्वारा भी रियायती दरों पर सुविधाएँ प्रदान की जावेंगी।
- 1.3. विशिष्ट आधारभूत संरचना सहायता: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध हवाई पट्टियों और हेलिकॉप्टर्स को निर्धारित शुल्क के साथ फिल्म निर्माताओं को उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।
- 1.4. फिल्म मेकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहन: राज्य सरकार निजी निवेशक संस्थाओं को फिल्म संबंधित उपकरण क्रय करने/आयात करने के लिये पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहित करेगी।
- 1.5. भौतिक आधारभूत संरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन :
 - 1.5.1 मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियो और फिल्म निर्माण के लिए स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। पर्यटन नीति की धारा 6 के तहत उप-खंड 6.8, निम्नलिखित अनुदान का प्रावधान है-

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/म्यूजियम, एक्वैरियम, थीम पार्क स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	100	15%	500

मध्य प्रदेश के पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के खंड संख्या 6.8 में उल्लिखित अधोसंरचना के अलावा, फिल्म क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र और स्टार्ट-अप परियोजनाओं को भी खंड संख्या 6.8 के प्रावधान अन्तर्गत शामिल किया जाता है। उक्त परियोजनाएँ खंड संख्या 6.8 में उल्लेखित अनुदान हेतु पात्र होंगी।





15.2 मध्य प्रदेश के पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) की कंण्डिका क्रमांक 5.16 ' फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना' गतिविधियाँ नीति के खण्ड संख्या 6.19 के अनुसार बड़े/ मेगा/ अल्ट्रा-मेगा पर्यटन परियोजनाएँ उनकी श्रेणी के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता के लिए पात्र होंगे :

परियोजना श्रेणी	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम निवेश	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगो को रोजगार)	इकाई द्वारा स्थायी पूंजी निवेश पर यूनिट प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा	वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत			
					प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
वृहद	रु. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक	50	30%	15 करोड़	10%	10%	5%	5%
मेगा	रु. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक	100	30%	30 करोड़	10%	10%	5%	5%
अल्ट्रा मेगा	रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक	200	30%	90 करोड़	10%	10%	5%	5%

* पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त अनुदान का क्लेम किया जा सकता है। किंतु फिल्म निर्माण/ टी. वी. धारावाहिक/ शो निर्माण OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाले वेब सीरीज/ ओरिजनल शो निर्माण एवं डाक्यूमेन्ट्री निर्माण परियोजनाएँ इस प्रावधान के तहत नहीं आयेंगी।

16. फिल्म सिटी :

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास करेगी, ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी/ शहरों/ फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा तथा क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के अनुसार भूमि भी प्रदान करेगी और सक्रिय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग करेगी।


17. फिल्म स्टूडियो एवं लैब :

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म स्टूडियो और प्रोसेसिंग लैब की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देगी।

18. भूमि बैंक :

फिल्म पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) की भूमि आवंटन नीति के अनुसार विभिन्न फिल्म उद्योग संबंधी अधोसंरचना की स्थापना के लिए पर्यटन भूमि बैंक से भूमि आवंटित की जा सकेगी। फिल्म, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए, निजी निवेश के माध्यम से विशेष क्षेत्र विकसित किये जाएँगे, जिसमें और इन्हीं परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि लीज पर आवंटित की जाएगी। यह लैंड बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा:

- 18.1 फिल्म संबंधी कौशल विकास केंद्र,
- 18.2 फिल्म संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र,
- 18.3 फिल्म स्टूडियो और लैब, पोस्ट प्रोडक्शन केन्द्र, VFX,
- 18.4 फिल्म सिटी,





18.5 इन्क्यूबेशन केंद्र,

18.6 स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट

* भूमि आवंटन उपरान्त निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान किशतों में करने की सुविधा आवंटि को होगी। आवंटि को निम्नानुसार किशतों में प्रीमियम राशि जमा करनी होगी :

अ- प्रीमियम का 10 प्रतिशत (GST सहित) आवंटन आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर।

ब- प्रीमियम का 15 प्रतिशत (GST सहित) लीज निष्पादन उपरान्त आधिपत्य प्राप्ति के समय।

स- प्रीमियम का 25 प्रतिशत (GST सहित) परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय।

द- प्रीमियम का 50 प्रतिशत (GST सहित) परियोजना पूर्ण होने के दिनांक से 180 दिवस के भीतर।

19. फिल्म स्क्रीनिंग :

मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 59 मल्टीप्लेक्स इकाइयाँ हैं, जिनमें 156 मल्टी-स्क्रीन तथा लगभग 149 सिंगल-स्क्रीन हैं। हालाँकि, राज्य के अधिकांश सिंगल स्क्रीन सिनेमा खराब स्थिति में हैं और उनके नवीनीकरण/ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। राज्य में कई ऐसे छोटे शहर व कस्बे हैं, जिनमें सिनेमा हॉल उपलब्ध नहीं हैं। अतः राज्य में मौजूदा सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स को सहयोग प्रदान करना और नये सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स की स्थापना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

19.1 सिंगल स्क्रीन सिनेमा :

राज्य सरकार एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर कम लागत वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना के लिए किये गए पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान प्रदान करेगी। यह सुविधा केवल गाँव/ शहर में स्थापित किए जा रहे प्रथम 03 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए उपलब्ध होगी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास पर सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
एकल स्क्रीन सिनेमाघर	50	15%	50

19.2 मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं अद्दतन् कार्य हेतु सहायता :

सिनेमा हॉल में फिल्म देखने को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा सिनेमा हॉल में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीक को आधुनिक बनाना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। इस नीति के लागू होने के दिनांक से बंद हो चुके सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सिनेमाघरों से सम्बद्ध अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सहायता दी जाएगी। मौजूदा बंद सिनेमा हॉल के उन्नयन पर राज्य सरकार निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करेगी।

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
सिनेमाघरों का उन्नयन	25	15%	50

* सिनेमाघर से आशय 100 कुर्सी दक्षता वाले सिनेमा प्रदर्शन हॉल, बुकिंग विंडो, दर्शक सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों व पार्किंग व्यवस्था आदि से होगा।





19.3 मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करना :

मल्टीप्लेक्स सिनेमा में एक से अधिक फिल्म चलाने के लिए स्क्रीन की संख्या समवर्ती होती है, जिससे दर्शकों के लिए एक ही समय में एक से अधिक फिल्मों के अवसर उपलब्ध होते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन मल्टीप्लेक्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें एक या अधिक सिनेमा स्क्रीन हों को वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जायेगी।

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये करोड़ में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
मल्टीप्लेक्स	01	15%	75

20. कौशल विकास और क्षमता निर्माण: मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं दोनों के लिए पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में उभरा है, परन्तु राज्य में कुशल कार्यबल उपलब्ध न होने के कारण निर्माता अपने साथ प्रदेश के बाहर के तकनीशियन, कलाकार एवं अन्य कार्यबल साथ लेकर राज्य के शूटिंग गंतव्यो की यात्रा करता है, जिससे निर्माताओं को अधिक लागत व्यय करनी पड़ती है।

मध्य प्रदेश में प्रतिभावान लेखक, संगीतकार, निर्माता, डिजाइनर और कलाकारों की प्रचुर संभावनाएँ हैं, जो कि फिल्म निर्माण गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। फिल्म क्षेत्र में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु भी राज्य में कलाकारों एवं फिल्म तकनीशियनों के लिये सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। राज्य शासन द्वारा फिल्म निर्माताओं की इस लागत को कम करने के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल एवं जनशक्ति विकसित की जावेगी ताकि फिल्म निर्माता राज्य के कुशल कार्यबल का उपयोग कर सकेंगे, जिससे राज्य में रोजगार वृद्धि होगी। राज्य में थिएटर/ फिल्म उद्योग के अंतर्गत काम करने वाले युवाओं और कलाकारों के लिए नये अवसर उपलब्ध होंगे। सिनेमा उद्योग संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल केंद्रों और सिनेमा स्टार्ट-अप परियोजनाएँ, राज्य पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के कंडिका क्रं. 6.8 तथा 6.19 अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता के पात्र होंगे।

20.1 निजी निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में फिल्म उद्योग संबंधी कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में फिल्म निर्माण, निर्देशन, उत्पादन, प्रकाश व्यवस्था, संपादन, कलर ग्रेडिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म वितरण और प्रदर्शनी, एनीमेशन और ग्राफिक्स आदि के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।

20.2 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राज्य के विश्वविद्यालय में प्रासंगिक फिल्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किये जायेंगे। फिल्मों से संबंधित अद्यतन तकनीकों और पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी।

20.3 निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करके एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

20.4 विभिन्न फिल्मांकन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों से संबंधित विषयों पर सामयिक कार्यशाला/ सीमित अवधि पाठ्यक्रम आदि आयोजित करेगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाधनों में शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम भी चलाएगी।

20.5 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के छात्रों को अध्ययन हेतु रु 50,000/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक वर्ष में प्रदान की जाने वाली अधिकतम छात्रवृत्तियों की संख्या 10 छात्र होगी। छात्रवृत्ति हेतु नियम/शर्त/प्रक्रिया फिल्म फेसिलिटेशन सेल द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

21. राज्य सहयोग हेतु अर्हता :

21.1 प्रत्येक प्रोडक्शन कम्पनी जो फिल्म नीति के तहत सहायता प्राप्त करेगी, उन्हें राज्य सरकार, पर्यटन विभाग को श्रेय (क्रेडिट) अनिवार्यतः फिल्म के साथ शूटिंग स्थल के नाम सहित प्रदर्शित करना होगा।





21.2 राज्य शासन/पर्यटन विभाग का लोगो फिल्म/टी.वी.धारावाहित/शो/वेब-सीरीज/ओटीटी शो/डाक्यूमेन्ट्रीग की क्रेडिट लिस्ट में अनिवार्यतः उपयोग करना होगा।

22. नीति को लागू करना और वैधता अवधि :

फिल्म पर्यटन नीति-2020 का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा तथा यह नीति लागू होने के दिनांक से आगामी 5 साल के लिए वैध होगी।

23. विवाद समाधान :

नीति क्रियान्वयन में किसी भी विवाद पर साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

24. संशोधन फिल्म पर्यटन नीति 2020 :

संशोधन फिल्म पर्यटन नीति 2020 के किसी भी प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।

————— × —————

नोट : पॉलिसी मूल लेख हिंदी भाषा में है। सुविधा हेतु अंग्रजी भाषा में इसका भावान्तर किया गया है।
किसी भी भाग में स्पष्टता हेतु हिंदी भाषा को मान्य किया जाएगा।





परिशिष्ट- "अ"

फिल्म- शूटिंग/ टी.वी. धारावाहिक/ टी.वी.शो/ OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की कुल परियोजना लागत अन्तर्गत सम्मिलित व्ययमद

अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा किये गये कुल पूंजीगत व्यय में से निम्न व्याय मद अनुदान हेतु मान्यु होंगे:-

1. Lead Actors fees
2. Producer fees
3. Director & Writer fees
4. Supporting Cast Charges
5. Dialogue/Story Writer fees
6. Entourage Charges
7. Extras & Features Charges
8. Direction Department Fees
9. Production Department Including Line Producer Fees
10. Camera, Grip & Light Fees
11. Sync Sound & Sync Security
12. Art Department Fees Including Wages
13. Costume Department Fees
14. Make-up & Make-up Material
15. Choreographer & Photographer Fees
16. Camera & Equipment Hire Charges
17. Sound Equipment Hire Charges
18. Light & Grip Hire Charges
19. Generator Hire Charges
20. Vanity Van , Walkies & Picture Vehicles Hire Charges
21. Workshop, Recce, Rehearsals expenditure
22. Costume Purchase & Hire Charges
23. Art , Set & Props expenditure
24. Transport Charges
25. Location Charges
26. Flights & Hotel Accommodation expenditure
27. Food & Beverage expenditure
28. Production Office Cost
29. Post Production, Legal & Auditor fees/ Charges

उपर्युक्त विवरणों के अलावा अन्य अतिरिक्त व्यय मदों को विचार कर उपरोक्ता सूची में सम्मिलित करने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड का फिल्म सुविधा सेल (FFC) अधिकृत होगा ।



मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल।

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 02/03/2020

क्रमांक एफ 01-17/2019/तैंतीस, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासन पर्यटन नीति 2016 (यथा संशोधित 2019) की कंडिका क्रमांक 11.4 में किये गये प्रावधान अनुसार विभागीय संक्षेपिका दिनांक 03/02/2020 के साथ परिशिष्ट 1 पर वर्णित मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका क्रमांक 10 अंतर्गत नीति के प्रयोजन हेतु फीचर फिल्म से आशय "न्यूनतम 90 मिनट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जो केन्द्रीय सेंसर बोर्ड (CBFC) से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गई हो" को स्पष्ट करते हुए संलग्न परिशिष्ट 1 "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020" में जोड़कर अनुमोदन किया जाता है।

उक्त आदेश मंत्रि-परिषद निर्णय के आयटम क्रमांक-13, दिनांक 19 फरवरी 2020 के संदर्भ में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(फैज़ अहमद किदवई)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
भोपाल, दिनांक 02/03/2020

पृ. क्र. एफ 01-17/2019/तैंतीस,


प्रतिलिपि-:

1. माननीय मंत्री जी, पर्यटन विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।
6. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
9. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्राणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. आर्डर बुक।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग



**MADHYA PRADESH
FILM TOURISM POLICY 2020
ENGLISH VERSION**



MADHYA PRADESH FILM TOURISM POLICY 2020

INDEX

1.	Vision	36
2.	Definitions	36
3.	Objectives	36
4.	Strategy	38
5.	Advisory/Empowered Committee	38
6.	Film Facilitation Cell	38
7.	Implementation	40
8.	Single Window Clearance	42
9.	Marketing and Promotional Assistance	42
10.	Financial Incentives under Film Tourism policy	44
11.	Infrastructure Development	54
12.	Development of Service Infrastructure	54
13.	Specific Infrastructure Assistance	54
14.	Incentives for Film Making Infrastructure	54
15.	Financial incentives for creating physical infrastructure	54
16.	Film city	56
17.	Film Studio & Lab	58
18.	Land Bank	58
19.	Film Screening	58
20.	Skill Development and Capacity Building	62
21.	Qualification for State Cooperation	64
22.	Implementation of the policy and validity period	64
23.	Dispute Resolution	64
24.	Amendment	64
25.	Annexure "A"	66
26.	Key Contributions	68

■ Heritage
 ■ Urban
 ■ Rural
 ■ Art & Craft
 ■ Nature
■ Wildlife
 ■ Food
 ■ Art/Fetival
 ■ Adventure





Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020

To facilitate shootings of Feature Film, Web Series, TV Serial & Reality Show, Documentary and to promote Private Investment in Film Tourism in Madhya Pradesh

1. **Vision :**

To make Madhya Pradesh a major film friendly state and create more employment opportunities through film industry in the state.

2. **Definitions :**

“Policy” means the Film Tourism Policy, 2020 of Madhya Pradesh

“State” means the state of Madhya Pradesh

“Government” means the Madhya Pradesh State Government & its owned undertakings.

“Board” means the Madhya Pradesh Tourism Board

‘Managing Director’ means ‘Managing Director’ of Madhya Pradesh Tourism Board.

“Central Govt.”, mean Government of India, its developments and on undertakings.

“Film” definition shall be same as given in the Indian Cinematography Act 1952 which reads as under”

“Film” means a cinematograph film”

* “Feature Film” refers to a minimum 90-minute cinematograph film that is graded or certified by Censor Board (CBFC) and released in theatres as per the process.

* As there is no definition available for Web Series, T.V. serials/shows, Documentary etc. in Indian Cinematography Act 1952, the decision, for providing benefits under the policy, shall be taken by the “Film Facilitation Cell”, as mention in this policy.

3. **Objectives:** The key objectives of Film Tourism Policy are:

- 3.1 To place Madhya Pradesh as a first choice for shooting films among film makers.
- 3.2 Madhya Pradesh to be developed as a central hub for making films.
- 3.3 To develop & enhance employment opportunities for local talent.
- 3.4 To create films making infrastructure.
- 3.5 To encourage investment in the state in film sector.



- 3.6 Publicity, Marketing and Branding of State through filming & accelerate tourism growth in Madhya Pradesh.
- 3.7 National/International recognition to the tourist places of Madhya Pradesh through films.
- 3.8 To provide ease of filming in Madhya Pradesh & to encourage more shoots in the state.
- 3.9 Take all necessary measures for film production and promotion.

4. **Strategy:** for promotion of Film Tourism

This policy intervention shall enhance the tourism competitiveness of the state. Following measures are to be taken under the strategy :

- 4.1 To define procedures, approvals, permissions and licenses to reduce redundancy.
- 4.2 Providing financial incentives and exemptions to attract investment.
- 4.3 Provide land for development of infrastructure.
- 4.4 Providing a conducive environment to the Film Makers
- 4.5 Development of basic Infrastructure for film makers.

5. **Advisory/Empowered Committee:** An Empowered Committee has been constituted vide circular number F1/9-64/2019/1/5 dated 22/12/2016 by Madhya Pradesh government, which is authorized for clarification/ interpretation/ dispute resolution for implantation of Madhya Pradesh Tourism Policy in the state. Film tourism policy 2020 is basically a part of the Madhya Pradesh Tourism Policy (2016) Amended 2019, hence, including Principal Secretary, Commercial Tax Department in this committee, it shall work on the rules clarification, rules amendment, issue instructions/guidelines, approval, and monitoring work shall also be done by this committee for the implementation of Film Tourism Policy 2020.

- 5.1 Empowered Committee shall determine the rates for shooting in the areas under jurisdiction of all Municipal bodies, rural areas and the properties under government in the state and these rates shall be applicable in entire state.

6. **Film Facilitation Cell :**

- 6.1 To implement the Film Tourism Policy 2020, a dedicated Film Facilitation Cell (FFC) shall be set up. The FFC under the chairmanship of Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, shall act as the nodal agency of the state for Film Tourism. The committee will work as an executive body to strengthen the relationship with various stakeholders involved in the approval process, to develop and advice on industry trends, give policy suggestions and regulatory reforms time to time.





6.2 Members of Film Facilitation Cell (FFC):

Managing Director , Madhya Pradesh Tourism Board (Chairman)
Additional Managing Director , Madhya Pradesh Tourism Board (Deputy Chairman)
Director , IP , Madhya Pradesh Tourism Board (Member)
Deputy Director , Film Tourism , Madhya Pradesh Tourism Board (Member Secretary)
Deputy Director , Finance , Madhya Pradesh Tourism Board (Member)
Archaeological Advisor , Madhya Pradesh Tourism Board (Member)
Person / body related to film industry (Member nominated by Managing Director)
Heads of Departments of the concerned Department (as and when required)(Members)

6.3 Scope of Work of Film Facilitation Cell (FFC) :

- 6.3.1 All the applications shall be received by Film Facilitation Cell, MPTB in online mode (in offline mode till the web portal is not ready).
- 6.3.2 FFC shall set up an in-house Finance Committee to scrutinize the supporting documents/bills submitted by the applicant to claim subsidy.
- 6.3.3 Film Facilitation Cell shall register Line producers who coordinate film shootings in the state.
- 6.3.4 Film Facilitation Cell shall set the selection process for providing annual scholarship to the students of Madhya Pradesh studying in Film & Television Institute of India (FTII) Pune, Satyajit Ray Film & Television Institute Kolkata and National School of Drama, New Delhi.
- 6.3.5 Film Facilitation Cell shall be authorized to make and issue the detailed guidelines, Rules, process checklist and all required formats and agreements etc. essential to implement the Film Tourism Policy.
- 6.3.6 Film Facilitation Cell shall decide on Film Tourism Policy related application fee / registration fee, if required.
- 6.3.7 Film Facilitation Cell shall, from time to time compile details of all possible details of locations suitable for shooting and state tourism policy shall be published and promote through print & digital Media.

7. **Implementation:**

- 7.1 The entire policy document and forms shall be made available on the website of Madhya Pradesh Tourism Board.
- 7.2 This policy shall be applicable to all the eligible National/International filmmakers for seeking permission & claiming subsidy as per the guidelines.





- 7.3 A onetime online Registration with the Film Facilitation Cell, MPTB shall be mandatory before applying for the permission & subsidy.
- 7.4 Film Facilitation Cell shall scrutinize the proposed projects that there are no adverse or negative views about the people of the Country/State through audio or video or any other way, before the approval of Subsidy.
- 7.5 Film Facilitation Cell shall coordinate with all concerned departments / authorities to ensure timely approval/permissions on applications received for film shooting.
- 7.6 After completion/ release of the project, the producer shall submit the application to Film Facilitation Cell, MPTB along with the necessary certificates for the grant in the prescribed format. The major expenditure allowable for the project cost (COP) for subsidy will be as per items listed in Annexure "A".
- 7.7 Finance Committee, set up by the Managing Director shall examine the Subsidy application, and forwarded to the Chairman of Film Facilitation Cell along with its recommendation for decision.
- 7.8 A Subsidy approval letter shall be issued to the applicant after approval of Chairman of Film Facilitation Cell.
- 7.9 The subsidy amount shall be paid to the applicant through online.
- 7.10 Amount of subsidy shall be released within a maximum time limit of 45 working days from the date of submission of complete application with requisite documents.

8. **Single Window Clearance:**

A dedicated online film web portal shall be created to provide a single- point interface and time bound clearance mechanism for filmmakers intending to shoot in Madhya Pradesh. All the applications shall be received through online mode by the Film Facilitation Cell (offline till the web portal is not ready) and action shall be taken in coordination with the concerned department for permission. The portal shall also act as a platform for information dissemination related to film tourism policy and shall also act as a forum for the dissemination and the rules, regulations, also provide information on grants and other utility services.

The Film Facilitation Cell, shall provide necessary support, coordination and facility to all the filmmakers / applicants for shooting permissions.

An ADM level officer in each district shall be authorized as the nodal officer, who will cooperate and coordinate at the district level for the implementation of Film Tourism Policy 2020.

9. **Marketing and Promotional Assistance to promote film tourism in the State:**

State government intends to increase the growth of media and entertainment industry. With a view to create more opportunities for film industry related stakeholders, state will provide various interventions. Under the





promotional activities various theme parks, selfie points, film festivals & film awards shall be developed. FFC shall take decision on participation in various National/International Film Festivals and event which will help to promote Film Tourism in the state. National/International film festival/ Seminar etc. shall be organized in the state and FAM tours of renowned filmmakers of the country shall also be organized. Film shooting locations where Films has been shot shall be developed and promoted as tourist products for tourist attraction. The Film Facilitation Cell may consider setting up of a branch office in the film city of Mumbai, when required, to attract/ facilitate the producers who are interested to make films in the state.

10. Financial Incentives under Film Tourism policy :

The Film Facilitation Cell shall act as the nodal agency of Tourism Department in Madhya Pradesh to provide financial incentives for film production / TV serial / web series etc. and other policy related provisions.

To encourage more and more films in the state, following eligibility criteria are set for the subsidy for the production of films in any language in the state

10.1 Subsidy for feature films:

10.1.1 Subsidy for shooting first film:

Sr.	Subsidy for 1st Film	Criteria
1	Up to Rs. 1 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 50% of total shooting days shoot in the state
2	Up to Rs. 1.50 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 75% of total shooting days shoot in the state

10.1.2 Subsidy for Second Film shooting:

Sr.	Subsidy for 2nd Film	Criteria
1	Up to Rs. 1.25 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 50% of total shooting days shoot in the state
2	Up to Rs. 1.75 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 75% of total shooting days shoot in the state





10.1.3 Subsidy for Third and onward Film shooting

Sr.	Subsidy for 3rd and onward Film	Criteria
1	Up to Rs. 1.50 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 50% of total shooting days shoot in the state
2	Up to Rs. 2.00 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 75% of total shooting days shoot in the state

* If Madhya Pradesh is prominently featured in a feature film with more than 75 percent shooting days in the state, and the tourism of the state gets direct benefit, then such a film of each category (first, second, third and upcoming film) shall be given an additional subsidy of Rs 50.00 lakh, which shall be decided by the Film Facilitation Cell.

* On producing film on the Story/script based on the State with a view of Madhya Pradesh Special Branding (MP Specific Film), a special grant of 50% of the Cost of Production of film or Rs. 5.00 crore, whichever is less, shall be provided. The Empowered Committee shall be authorized to decide on such subsidies.

10.1.4 The percentage of film shooting in the state shall be calculated in proportion to the number of days shot in Madhya Pradesh out of the total shooting days of the entire film.

10.1.5 The information on number of shooting days in the state shall be verified by the District Collector of the concerned district.

10.1.6 If the filmmaker is giving work opportunity to the local artists of Madhya Pradesh, then as an additional subsidy, a maximum of Rs 25 lakh shall be provided for the cast of minimum 3 Primary artists (character prominently according to the story) and a minimum of 10 lakh rupees shall be provided for the cast of a minimum of 5 secondary artists (other than the main character being shown prominently as per the story) or 50 percent of the actual payment of artists for both the above categories, whichever is less, shall be provided. This subsidy amount shall be provided to the applicant on the basis of the payment bills of the paying artists.

10.1.7 The Cost of production (COP) of a film and the number of shooting days which are mentioned in the application shall be decided on the basis of detailed project report submitted with the application by the applicant.





10.1.8 Reimbursement of permission fee for shooting of Film /T. V. Serial / T.V. show /web series / original show of OTT platform and documentary :

Sr.	Subsidy	Criteria
1	50% reimbursement of shoot permission actual charges paid in the state	For Film shooting / web series on OTT platform/ original show/ documentary minimum 50% of total shooting days and minimum 90 days shooting of TV Serial/Show in the state
2	75% reimbursement of shoot permission actual charges paid in the state	For Film shooting / web series on OTT platform/ original show/ documentary minimum 75% of total shooting days and minimum 180 days shooting of TV Serial/Show in the state


10.1.9 If the minimum 50 percent shooting day criteria is not being met by the applied feature film project, but 20 and 10 percent of the total screen time in the produced feature film is being given to the scenes shot in Madhya Pradesh respectively, and Madhya Pradesh has special branding in the applied feature film project, financial subsidy of maximum Rs 75.00 lakh and Rs 50.00 lakh respectively shall be provided which shall be scrutinized by Film Facilitation cell.

10.1.10 Cinema is a major and effective industry in regional languages (Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam) in the southern states, and there is an abundant audience for films in regional languages. The number of tourist coming from these states is less in Madhya Pradesh. Therefore, in order to increase the popularity of the tourist places of the state in the southern states, 10 percent financial subsidy in addition on the fulfilment of all the criteria mentioned under above mentioned clause no. 10.1 to the regional language films of the southern states, namely - Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam films.

* Subsidy under clause no. 10.1.8 shall be provided only for the monuments/properties of ASI , State Archaeology , Local Municipalities , Tourism Department , Forest Department , Department of Irrigation , PWD and all the state government properties.

* Proposal that do not fall within the above criteria for reimbursement of permission fee (i.e. film proposal with less than 50 per cent shooting days) may be considered as discretion of FFC to give concession /waiver off the charges on shooting locations.

* Film Facilitation Cell shall issue detailed guidelines and procedure for providing the subsidy to Film Makers.





10.2 Grant for TV serials / shows:

Sr.	Subsidy	Criteria
1	Up to Rs. 50 Lakh Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 90 days shooting days shoot in the state
2	Up to Rs. 1.00 cr. Or 25% of total cost of production (COP), whichever is lower	Minimum 90 days shooting days shoot in the state

10.2.1 The information related to the number of shooting days in the state shall be verified by the District Collector of the concerned shooting district.

10.2.2 Above Subsidy shall only be provided to those applicants, who shall submit the certificate of telecast schedule from GEC (General Entertainment Channels).

10.2.3 If the filmmaker is giving work opportunities to local artists of Madhya Pradesh, then as an additional subsidy, a maximum of Rs 25 lakh shall be provided for the cast of minimum 3 Primary artists (character prominently according to the story) and a minimum of 10 lakh rupees shall be provided for the cast of a minimum of 5 secondary artists (other than the main character being shown prominently as per the story) or 50 percent of the actual payment of artists for both the above categories, whichever is less, shall be provided. This subsidy amount shall be provided to the applicant on the basis of the payment bills of the paying artists.

10.3 Grants for Web Series / Original Show to be displayed on OTT (Over the Top) Platform:

Sr.	Subsidy	Criteria
1	Up to Rs. 50 Lakh Or 25% of total cost of production COP	On shooting minimum 50% of the Web Series/ shows in Madhya Pradesh
2	Up to Rs. 1.00 cr. Or 25% of total cost of production COP	On shooting minimum 75% of the Web Series/ shows in Madhya Pradesh

10.3.1 The number of shooting days in the state shall be verified by the District Collector of the concerned district.

10.3.2 If Web series maker is giving the work opportunity to local artists of Madhya Pradesh, then as an additional subsidy, a maximum of Rs 25 lakh shall be provided for the cast of minimum 3 Primary artists (character prominently according to the story). And a minimum of 10 lakh rupees shall be provided for the cast of a minimum of 5 secondary artists (other than the main character being shown prominently as per the story) or 50





percent of the actual payment of artists for both the above categories, whichever is less, shall be provided. This subsidy amount shall be provided to the applicant on the basis of the payment bills of the paying artists.

10.3.3 The above subsidy shall be provided only to those applicants who will submit the telecast schedule /release certificate from the OTT (Over the Top) platform.

* Guideline related for shooting web series /original shows of OTT (Over The Top) platform shall be issued by FFC from time to time, on the basis of the guidelines received from the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

* As there are currently no certification criteria for OTT (Over the Top) platform. Therefore, the FFC shall be fully authorized for determination of its script, content and subsidy approval.

10 .4 Grant for Documentary Films to be shot in Madhya Pradesh :

In order to encourage experienced and reputed documentary film makers to produce documentary related to the state, tourist destinations of Madhya Pradesh, wild life, culture, food, handicraft, religious festival/ festivals, lifestyle/ textile, people of the state, distinguished Documentary made on the heritage / history and stories related to individuals etc. of the state that has shot in the state is provided subsidy as under: -

10.4.1 Up to Rs. 20.00 Lakh or equivalent to the 50% of total cost of production for National level release, whichever is less.

10.4.2 Up to Rs. 40 Lakh or equivalent to the 50% of total cost of production for International level release, whichever is less.

10.5 On shooting of International Film / TV serial/ TV show/ web series or original shows of OTT platform- for minimum 07 days in the state maximum 10% financial subsidy and in case of special branding of the state maximum 25% financial subsidy shall be reimbursed which shall not be more than Rs. 10 Crore. Discretion vests with the FFC to take decision in this regard.

* The above facility shall also be provided to the National Feature Filmmakers whose feature film project cost would be more than 100.00 crore. Such unit shall have the option to choose the grant facility provided under clause no. 10 or as mentioned in clause 10.5.

* All subsidies and reimbursements shall be payable on producing U & UA Certificate from Board of film Certification for feature films only and release of film/Telecast/Webcast of TV serials/Web series on media platforms. Film released in Madhya Pradesh shall be considered as all India release. This clarification shall be applicable as detailed under clause no. 10.





11. **Infrastructure Development** : To facilitate film producers and tourists, state government shall make all possible efforts to Improve basic infrastructure i.e. roads, transportation, accommodation closer to tourist locations/shooting sites. This will provide much needed ease to film producers and tourists in Madhya Pradesh.
12. **Development of Service Infrastructure** : Hotels and other tourism products/services (caravans etc) which are operational by Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation (MPSTDC) shall offer 40% discount over the published rates for film cast and crew. Along with this, facilities will be provided at concessional rates by various state owned institutions such as Sports Academy, Adventure Sports Academy, Boat Clubs etc.
13. **Specific Infrastructure Assistance** : State government's Airstrips & choppers shall be made available to the film makers on payment at prescribed rent.
14. **Incentives for Film Making Infrastructure** : State Government shall encourage private sector for purchase/import of production equipment as per the provisions of MP Tourism policy (2016) amended 2019.
15. **Financial incentives for creating physical infrastructure** :
 - 15.1 Tourism Policy (2016) amended 2019 of Madhya Pradesh have the provision to provide subsidy on creating infrastructure of Permanent nature and installation of equipment for film studio and film production in the state. Sub-section 6.8 under section 6, of Tourism Policy provides the following subsidy.

Grant Scheme	Minimum project cost (In Lakh Rupees)	Percentage of grant on fixed capital expenditure	Maximum grant limit (in Lakh Rupees)
Capital grant for setting up of permanent infrastructure construction and equipment for film studios and film production/ museum, aquarium, Theme park	100	15%	500

Apart from the infrastructure mentioned in clause no 6.8 of Madhya Pradesh Tourism Policy (2016) amended 2019, the skill development centres and start-up projects of the film sector shall also be covered under the provision of clause no 6.8. The above projects will be eligible for the grants mentioned in Section No. 6.8.





15.2 As per clause number 5.16 of Madhya Pradesh Tourism Policy (2016) amended 2019 "Film studio and development of infrastructure and installation of equipment for film making" activities shall also be eligible for investment promotion assistance as per clause no. 6.19 of the policy large/ mega /ultra - mega tourism projects according to their category:

Category of Project	Minimum investment of the Project	Minimum No. of Employment (For the residents of MP)	% of Investment Promotion assistance on capital investment made by the unit	Maximum ceiling of of Investment Promotion assistance (Rs. In Crore)	Yearwise percentage of Disbursement of Investment Promotion assistance amount			
					1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year
Large	Rs. 10.00 Crore or more	50	30%	15	10%	10%	5%	5%
Mega	Rs. 50.00 Crore or more	100	30%	30	10%	10%	5%	5%
Ultra-Mega	Rs. 100.00 Crore or more	200	30%	90	10%	10%	5%	5%

* The above subsidy can be claimed as per the criteria and procedure of Madhya Pradesh Tourism Policy 2016 (amended 2019). This subsidy shall not cover filmmaking / T.V. Serial / show production, Web series /original show production telecasted on the OTT platform and documentary production projects under this provision.

16. Film city :

The Government of Madhya Pradesh shall endeavour to set up a Film City in the state, so that complete infrastructure can be made available for film makers at one place. To assess the possibilities of setting up of Film City / Cities / Film Lab with the help of private sector, a feasibility study shall be conducted by the Department of Tourism through an expert agency and a detailed project report shall be prepared for implementation.

The state government shall also provide land as per the Tourism Policy 2016 (amended 2019) for the establishment of Film City in the state and actively cooperate in the construction of infrastructure.





17. **Film Studio & Lab:**

The state government shall encourage private investment to set up film studios and processing labs in the state.

18. **Land Bank:**

Government Land Bank for setting up of tourism projects shall be available and tourism pool land shall be allotted for setting up of various Film infrastructures as per land allotment policy of Tourism Policy 2016 (Amended 2019). For Film and Media & Entertainment Industry, Special Economic Zone shall be developed through private investment and government land shall be allotted on lease for the same. Land Bank shall be made available for the following projects:

- 18.1 Skills Development Centre for Film Sector,
- 18.2 Film Institute and Training Centre,
- 18.3 Film Studio and Lab, Post Production Centre, VFX,
- 18.4 Film City,
- 18.5 Incubation Centres,
- 18.6 Start - up projects of Film Sector.

* Allottee shall have the facility to pay premiums in instalments after the land allotment. The allottee shall have to deposit the premium amount in instalments as follows: -

- A - 10 % of premium (including GST) within 30 days of the issue of the allotment order.
- B - 15% Premium (including GST) lease execution after occupation attainment time.
- C - 25% Premium (including GST) at the time of the starting of the project.
- D - 50% premium (including GST) from 180 days of project completion date.

19. **Film Screening:**

Madhya Pradesh currently has 59 Multiplex Units consisting approximately 156 Multi- screen and 149 single-screens. However, most of the single screen cinema in the state are in bad condition and require renovation/maintenance. There are multiple small towns with no cinema hall or theatres for the screening of film. It is obligatory for the state to support the existing cinema halls/multiplexes and promote setting up of new cinema halls/multiplexes in the state.





19.1 Single-screen cinemas:

The Government will endeavor to promote low cost single screen cinema and help them licensing. The Government will also provide 15 percent capital subsidy on capital investment made for setting up of low cost single screen cinemas in places other than municipal areas. This facility will be available only for first 03 single screen cinema houses at a single town being set up in a village/ city. Subsidy will be provided on the development of Single Screen Cinema Hall as follows:

Subsidy Scheme	Minimum Project Expenditure	% of Subsidy Against Fixed Capital Investment	Maximum ceiling of subsidy
Single Screen Cinema Hall	Rs. 50 Lakh	15%	Rs. 50 Lakh

19.2 Revivals of Closed and upgrading existing Cinema Halls:

Cinema Halls that has been closed shall be encouraged to reopen. Those Cinema Halls which has been closed during preceding 2 years of the formation date of commencement of this policy shall be considered.

For promoting film viewing in the cinema halls, it is also important to modernize and upgrade the facilities and technologies available in the existing cinema halls. Support in getting permission for other commercial activities shall be granted to them by coordinating with the concerned authorities. On Revival of Closed and Upgrading existing Cinema Halls, state govt. shall provide the following financial benefits.

Subsidy Scheme	Minimum Project Cost	On permanent capital expenditure grants of percent	Grant Ceiling
Single Screen Cinema Hall	Rs. 25 Lakh	15%	Rs. 50 Lakh

* Here Cinema means 100 chairs capacity Cinema Display Hall, booking window, viewer facilities, modern equipment and parking system etc.

19.3 Encouraging setting up of Multiplexes:

Multiplex Cinemas have number of screens to run more than one film concurrently. For promoting setting up of new multiplexes, which have one or more cinema screens, in Madhya Pradesh, shall be granted financial subsidy as follows.





Subsidy Scheme	Minimum Project Expenditure	% of Subsidy Against Fixed Capital Investment	Maximum ceiling of subsidy
Multiplex	Rs. 1.00 cr.	15%	Rs. 75 Lakh

20. **Skill Development and Capacity Building** : Madhya Pradesh has emerged as the preferred film shooting destination for both National and International filmmakers but due to lack of skilled workforce in the state, the producers has to travel to the shooting locations along with technicians, artists and other workforce from outside the state to shooting destinations in the state causing incur higher costs.

Madhya Pradesh has immense potential of talented writers, musicians, producers, designers and artists, who can support in filmmaking activities. Facilities for artists and film technicians shall also be established in the state for skill development and capacity building in the film sector. To reduce this cost of filmmakers by the state government, necessary skilled workforce and manpower shall be developed so that the filmmaker shall be able to use the skilled workforce of the state, which shall increase employment in the state. New opportunities will be available for the youth and artists working under the theatre/ film industry in the state. Cinema Industry related training institutes, skill centres and cinema start-up projects; State Tourism Policy 2016 (amended 2019) Investment incentives will be eligible for assistance as per 6.8 and 6.19.

- 20.1 Skill development centres shall be established across the state by encouraging private investment. This centre shall have various courses and training for Film Making, Directing, Production, Lighting, Editing, Colour Grading, Sound Recording, Film Distribution & Exhibition, Animation and Graphics etc.
- 20.2 Efforts shall be made to introduce relevant film training courses in the state's industrial training institutes (ITIs) and universities in the state. The state government shall also encourage the private sector to open training institutes with latest techniques and courses related to films.
- 20.3 Incubation centres for animation and computer graphics and other technical facilities etc. will be established by encouraging private sector investment.
- 20.4 Workshop shall be organized on various subjects of film making. The state government shall organize occasional workshops/ short term courses etc. on subjects related to films in the state. It will also run educational exchange program with national and international institutions.
- 20.5 Scholarship of Rs. 50,000 / - per person per year shall be provided to the students of the state for Film & Television Institute of India (FTII) Pune, Satyajit Ray Film and Television Institute of Kolkata, National School





of Drama, Delhi and other equivalent reputed institutions. The maximum number of scholarships awarded in a year shall be 10 students. The terms/ conditions/ procedure for the scholarship shall be determined by the Film Facilitation Cell.

21. **Qualification for State Cooperation :**

- 21.1 Each production company which shall receive assistance under the film policy shall have to give the credit to the State Government and Tourism Department including the name of the shooting location in the film.
- 21.2 Logo of the State Government/ Tourism Department must be used in the credit list of Film/ TV show/ web-series/ OTT show and documentary.

22. **Implementation of the policy and validity period:** The area of Film Tourism Policy- 2020 shall be entire Madhya Pradesh and shall be valid for next 5 years from the date of notification of the policy.

23. **Dispute Resolution:** Any dispute in policy implementation shall be resolved by the Empowered Committee. The decision of the committee shall be final and binding on all concerned.

24. **Amendment:** The Empowered Committee shall be authorized to amend, clarify and explain any provision of the Film Tourism Policy-2020.

————— x —————

*Note : Policy Document is originally in Hindi. For easy understanding it has been translated into English.
In case of any clarification of any part of it, Hindi version of the policy shall be considered.*





Annexure "A"

Film shooting/ T. V. Serial / T. V. Show/ Web Series & Original Show shown on OTT platforms / documentary Including the total project cost Out of the total expenditure mentioned by the applicant in the application submitted for grant , the following expenditure shall be considered for subsidy : -

1. Lead Actors fees
2. Producer fees
3. Director & Writer fees
4. Supporting Cast Charges
5. Dialogue/Story Writer fees
6. Entourage Charges
7. Extras & Features Charges
8. Direction Department Fees
9. Production Department Including Line Producer Fees
10. Camera, Grip & Light Fees
11. Sync Sound & Sync Security
12. Art Department Fees Including Wages
13. Costume Department Fees
14. Make-up & Make-up Material
15. Choreographer & Photographer Fees
16. Camera & Equipment Hire Charges
17. Sound Equipment Hire Charges
18. Light & Grip Hire Charges
19. Generator Hire Charges
20. Vanity Van , Walkies & Picture Vehicles Hire Charges
21. Workshop, Recce, Rehearsals expenditure
22. Costume Purchase & Hire Charges
23. Art, Set & Props expenditure
24. Transport Charges
25. Location Charges
26. Flights & Hotel Accommodation expenditure
27. Food & Beverage expenditure
28. Production Office Cost
29. Post Production, Legal & Auditor fees/ Charges

Apart from the above details, the Film Facilitation Cell (FFC) of Madhya Pradesh Tourism Board shall be authorized to consider the additional expenditure items and include them in the above list.

